



2026:AHC:126865

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा

संहिता संख्या - 4901 वर्ष 2026

परमहंस प्रजापति

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अशोक कुमार त्रिपाठी, निशा दीक्षित

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 7

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

1. आज दायर किए गए पूरक शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. यह आवेदन आवेदक की ओर से धारा 193, 195, 419, 420, 467, 468, 471, 120 (बी) भारतीय दंड संहिता के तहत, पुलिस स्टेशन भाटपार रानी, जिला देवरिया में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और परोक्ष अभिप्राय के कारण वर्तमान मामले में उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि सह-आरोपी गुड़िया और वीरेंद्र को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संख्या 4813 वर्ष 2026 और 1936 वर्ष 2026 के तहत दिनांक 26.05.2026 और 27.05.2026 को पारित आदेशों के माध्यम से अग्रिम जमानत दे दी जा चुकी है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक को उपर्युक्त मामले में किसी भी समय पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका है, जबकि उसके विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और अन्वेषण/विचारण में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया।

6. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (दिल्ली का एनसीटी) और अन्य, (2020)

5 एससीसी 1 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस विषय पर विधि को अंतिम रूप से धारित किया है कि अग्रिम जमानत की सीमित अवधि हमेशा के लिए आवश्यकता नहीं है। उपर्युक्त मामले में, यह विचारण के निष्कर्ष तक जारी रह सकता है। इसमें आगे यह धारित किया गया है कि अभियुक्त के आचरण और व्यवहार के आधार पर दी गई अग्रिम जमानत विचारण तक आरोप पत्र दाखिल करने के बाद जारी रह सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आगे यह धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रदान करने के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, उसके द्वारा विचारण की कार्यवाही को प्रभावित करने की संभावना, या साक्षियों को डराने सहित साक्षों के साथ छेड़छाड़, न्याय से भागने की संभावना, जैसे कि देश छोड़ने पर विचार करना होगा, इत्यादि। यह भी धारित किया गया है कि न्यायालयों को आम तौर पर अपराधों की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक को, जिम्मेदार ठहराया गया भूमिका और मामले के तथ्यों जैसे विचारों से निर्देशित किया जाना चाहिए, जबकि इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि अग्रिम जमानत दी जाए या इसे अस्वीकार किया जाए। अनुमति देना है या नहीं देना यह विवेक का मामला है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. अग्रिम जमानत, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और मामले के सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरे विचार में, यह विचारण तक आवेदक को अग्रिम जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला है।
8. तदनुसार आवेदन को स्वीकृति दी जाती है।
9. आवेदक परमहंस प्रजापति को इस आदेश की एक प्रति के साथ आज से 15 दिनों की अवधि के भीतर संबंधित विवेचना अधिकारी/न्यायालय के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया जाता है, और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो-दो प्रतिभू के साथ व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किया जाएगा, और उन्हें विचारण के निष्कर्ष तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-
 - (i) आवेदक मामले में निर्धारित दिनांक पर संबंधित विवेचना अधिकारी/न्यायालय के समक्ष स्वयं को उपलब्ध कराएंगे और विवेचना/विचारण में सहयोग करेंगे।
 - (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे ताकि उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस कार्यालय में ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके।
 - (iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे और यदि उनके पास पासपोर्ट है, तो उन्हें उनके द्वारा संबंधित एस.एस.पी./एस.पी. के समक्ष जमा करना होगा।
10. किसी भी शर्त की उलंघन के मामले में, आवेदक को दी गई सुरक्षा को रद्द करने का आधार हो सकता है।

(माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

आदेश दिनांक: जून 11, 2026

मिनी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।